5.2.19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अधि०/उपस्थित
अप्रार्थी। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त पक्षकारान
अध्ययन एवं गौर तलब बिन्दुवार अधिवक्ता।
के पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
योग्य होने से दिनांक 19.5.17 को जारी
अंतरिम निषेधाज्ञा को यथावत बदस्तूर
कायम किया जाता है। निर्णय पृथक से
लिखाया जाकर शामिल मिसल है।
पत्रावली फैसल हुआ दाखिल दफ्तर हो
पक्षकार बदस्तूर के लिए रखी है।
प्रमाणपत्र। ह०
[illegible]

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी,छोटीसादड़ी (राज.)

प्रकरण : 33 / 17

दायर तारीख 19.06.2017

उनवान

विनोद पिता पृथ्वीराज निवासी केसुन्दा व वगैरह

प्रार्थी

बनाम

मोहनलाल पिता चतुर्भुज आयु वयस्क निवासी केसन्दा

अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 05.02.19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट 1955

उपस्थिति

विद्वान अभिभाषक

श्री जगदीश राव मराठा (प्रार्थीगण)

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है :– मोजा केसुन्दा तहसील छोटीसादडी में खाता सं. 179 मे अराजी नं.224, 233, 240, 247, 249, 250, 252, 257, 259 / 2864, 263, 264, 268,271,273,275,277,278,280,281,1498, 1501,1566 कुल किता 23 रकबा 7.01 हैक0 स्थित हैएवं खाता संख्या 727 खसरा न0 1473,1476 कुल किता 02 रक्बा 0.46 हेक0 वादग्रस्त आराजी पैतृक होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। पुर्व में मौखिक बंटवारे अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने–2 हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा प्राथीगण को उनकी कब्जे काश्त आराजी में जबरन घुसकर अधिकार करने की धमकिया दी जा रही है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एक पक्षीय बहस सुनी जाकर मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा विवादग्रस्त आराजी पर दिनांक 19.06.17 को पाबंद किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

पत्रावली जबाब में रखी गई। बाद तलबी भी अप्रार्थी/ उनके विधिक प्रतिनिधि के उपसंजात नही होने पर उनके विरूद्व दिनांक 07.02.2018 एकपक्षीय तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस विद्वान प्रार्थीगण सुनी गयी।

अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुये दिनांक 19.06.17 को जारी अंतिरिम निषेधाज्ञा ताफैसला मुल वाद कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर अध्ययन किया एवं बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन करने के उपरांत निष्कर्षतः वादग्रस्त आराजीयात् पैतृक होकर संयुक्त खातेदारी की है। मामला प्रार्थीगण के पक्ष होने से दिनांक 19.06.17 को प्रश्नगत आराजी पर जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला मुलवाद कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मुलवाद के साथ नत्थी की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

05.2.19

प्रकाश चन्द्र रेगर (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी
जिला प्रतापगढ़।